

AIR should broadcast regular programmes on the above lines.

(v) **Negotiation between Management and Unions for settlement of wages in Central Sector Enterprises.**

DR. A. KALANIDHI (Madras Central): In the wake, of expiry of wage agreements in various Central public sector enterprises all over India wage negotiations are being carried on. There is actually a deadlock in the dialogue mainly due the guidelines imposed by the Bureau of Public Enterprises. According to the guidelines, the managements cannot offer more than 100% of previous year's wages and DA neutralisation at Rs. 1.30 per all India consumer price index. This fitment benefit on the revision should range only between Rs. 35/- and Rs. 75/- and the minimum and maximum should be Rs. 598/- and Rs. 1419/-, the settlement should be given effect to from the date of signing the settlement; it is also emphasised that a system of production-linked wages be introduced. This is an imposition of pre-concluded decision on the working class and jeopardises the very collective bargaining system. It amounts to signing on the dotted lines imprinted by the Bureau of Public Enterprises and discussions in the industry level have, therefore, no meaning at all. It is reported that Government is going to appoint a commission to decide the quantum in the matter of DA neutralisation. Appointment of such a Commission will prolong the negotiations already delayed. I appeal to the Hon. Finance Minister to bestow his attention on this burning issue and allow the managements and unions to negotiate freely based on the paying capacity and on the principle of collective bargaining for arriving at their own wage settlements.

(vi) **Primary School Teachers' strike in Delhi**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : दिनांक 29 अप्रैल 1983 को लोक सभा में शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने दिल्ली में प्राथमिक स्कूल शिक्षकों

की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति तथा इस बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देते हुए जो वक्तव्य दिया था उसमें कहा गया था :—

“माननीय सदस्यों को यह सूचित करते हुए मुझे खुशी है कि शिक्षकों के प्रतिनिधियों की एक बैठक 28 अप्रैल, 1983 को दिल्ली के उप-राज्यपाल तथा मुख्य कार्यकारी पार्षद के साथ हुई और पदोन्नति के व्यापक अवसरों के लिए मांगों की जांच करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय, शिक्षक प्रतिनिधियों की सहमति से लिया गया है।”

किंतु हड़ताली अध्यापकों के एक प्रतिनिधि ने मुझे बताया है कि 28 अप्रैल 1983 को उप-राज्यपाल तथा मुख्य कार्यकारी पार्षद के साथ कोई वार्ता नहीं हुई। वार्ता 29 अप्रैल को हुई जबकि अध्यापकों के प्रतिनिधियों को तिहाड़ जेल से निकालकर उप-राज्यपाल से मिलने के लिए पुलिस द्वारा ले जाया गया।

29 अप्रैल को सरकार की ओर से जो वक्तव्य दिया गया उससे यह धारणा बनी थी कि दिल्ली प्रशासन और हड़ताली अध्यापकों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया है और शीघ्र ही कोई समझौता हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप प्राथमिक शिक्षकों की हड़ताल खत्म हो जाएगी।

पिछले दो दिनों की घटनाओं से यह स्पष्ट हो गया है कि प्राथमिक शिक्षकों ने हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकार का रवैया असहानुभूतिपूर्ण है वह उनकी सभी उचित मांगों पर विचार करने के लिए तैयार नहीं है।